न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–अजीत कुमार गोदारा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25/2022

जीसीएमएस नं. :– **2022/352**

मथरा देवी पत्नी लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी 1 यूडीएम तहसील व जिला अनूपगढ़।

—— प्रार्थीया

बनाम्

1. शारदा देवी पत्नी विकरमजीत जाति जाट निवासी 1 यूडीएम तहसील व जिला अनूपगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 06.09.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के नाम से वाके चक 2 यूडीएम तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 28 प.नं. 266/411 के कि.नं. 1/3 के 0.064, 2, 3 सालम, 4/1 का 0.126, 7/1 का 0.127, 14, 17, 24 सालम कुल 1.582 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो आवेदक के कब्जा काश्त में चली आ रही है जमाबन्दी की प्रति सलग्नं है। अनावेदकगण में से आवेदक सं. 1 के नाम से वाके चक 2 यूडीएम तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 28 प.नं. 266/411 के कि.नं. 1/2 के 0.163, 8, 9 सालम, 10/2 का 0.228, 11/2 का 0.228, 12, 13, 18, 19 सालम 20/2 का 0.228, 21/2 का 0.228, 22, 23 सालम इस प्रकार कुल 3.099 हैक्टर कमाण्ड ख़ातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो अनावेदक के कब्जा काश्त में चली आ रही है जमाबन्दी की प्रति सलग्नं है। अनावेदकगण के अधिकार व अधिपत्य की उपखण्ड व तहसील अनूपगढ के चक 2 यूडीएम तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 28 प.नं. 266/411 के कि.नं. 1/2 में 2–2 बिस्वा रास्ता खाला के साथ चिपता चिपता स्वीकृत करवाना चाहती है जिसे स्वीकृत किया जावे जो रास्ता आवेदक की इसी मुरब्बा नं. 28 प.नं. 266/411 की कृषि भूमि के कि.नं. 2 में पहूंचता है चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आ जा सकेगी तथा जो रास्ता गांव में जाने वाले आम रास्ता से जुड़ जायेगा जिससे आवेदक अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेगी। नजरी नक्शा सलग्नं है।

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

आवेदक की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए विद्यमान में कोई मार्ग नहीं है आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है तथा जिसकी आवेदक को अत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिए आवेदक नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। आवेदक की इसी कि.नं. 1/3 का 0.064 है. में से चाहे गये रास्ता की ऐवज में रास्ता जितनी भूमि भी देने के लिये तैयार है। आवेदक अपनी उक्त कृषि भूमि में जाने के लिये उक्त अनावेदक से अरसा पांच दिन पूर्व नया मार्ग बनाने/स्वीकृत करवाने के लिये आग्रह किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गये और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि वे आवेदक को उनकी कृषि भूमि में आवागमन के लिये अपनी भूमि के कि.नं. 1 में खाला के साथ साथ चिपते कोई रास्ता नहीं देंगी।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक की कृषि भूमि चक 2 यूडीएम तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 28 प.नं. 266/411 के कि.नं. 1/3 के 0.064, 2, 3 सालम, 4/1 का 0.126, 7/1 का 0.127, 14, 17, 24 सालम कुल 1.582 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी में आवागमन के लिये अनावेदक के धाराणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की वाके चक 2 यूडीएम का मु.नं. 28 प.नं. 266/411 के कि.नं. 1/2 में से दो–दो बिस्वा रास्ता खाला के साथ चिपता चिपता रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के चक 2 यूडीएम के मु.न. 28 प.न. 266/411 के कि.न. 1/3 का 0.064, 2ता3/0.506, 4/1 का 0.126, 7/1 का 0.127, 14,17,24/0.759 कुल 1.582 हैक्टे. कमाण्ड प्रार्थीया मथरा देवी पत्नी लक्ष्मणराम जाति जाट सा. 1 यूडीएम–बी के नाम खातेदार दर्ज है एवं रकबा पीएनबी शाखा बांडा के पक्ष में रहन है। इसी मु.न. व प.न. के कि.न. 1/2 का 0.163, 8 व 9/0.506, 10/2 का 0.228, 11/2 का 0.228, 12,13,18,19/1.012, 20/2 का 0.222, 21/2 का 0.228, 22ता23/0.506 कुल 3.099 हैक्टे. कमाण्ड रकबा अप्रार्थीया शारदा देवी पत्नी विक्रमजीत जाति जाट सा. 1 यूडीएम–बी खातेदार व एचडीएफसी बैंक शाखा अनूपगढ़ के पक्ष में रहन दर्ज है। इसी प.न. व मु.न. का शेष रकबा कि. न. 4/2 का 0.127, 5व 6/0.506, 7/2 का 0.126, 15, 16, 25/0.759 कुल 1.518 है. प्रार्थीया की देवरानी बादुदेवी पत्नी गोपीराम जाति जाट सा. 1 यूडीएम–बी खातेदार व पीएनबी बांडा के पक्ष में रहन है। इसी मु.न. 28 प.न. 266/411 के कि.न. 1,10,11,20,21 में 0.126 हैक्टे. रास्ता खेत व मुरब्बा के पूर्व दिशा में मु.न. 27 प.नं. 265/411 के कि.न. 1, 10,11,20,21 में 0.253 है. रास्ता देह दर्ज है। प्रार्थीया मथरादेवी ने अपने खेत में आने जाने के लिए मु.न. 28 प.न. 266/411 के कि.न. 1/2 में से 16.5 फुट अर्थात् 0.017 हैक्टे. रास्ता खेत हेतु मांग की है। प्रार्थीया के खेत में आने जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए चक 2 यूडीएम के मु.न. 28 प.न. 266/411 के कि.न. 1/2 में से 16.5 फुट अर्थात् 0.017 हैक्टे. रास्ता खेत हेतु मांग की है। प्रार्थीया के खेत में आने जाने हेतु

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उक्त प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। उक्त रास्ता प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना उचित है। चाहा गया मार्ग आत्यान्तिक आवश्यकता का एवं लघुत्तम मार्ग है जो मार्ग स्वीकृत किए जाने पर आवेदक की भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। मार्ग की ऐवज में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी. एल.सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को रकबाराज की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदक की कृषि भूमि **चक 2 यूडीएम के मु.न. 28 प.न. 266/411 के कि.न. 1/2 में से दो–दो बिस्वा** रास्ता अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, सुगम एवं निकटतम है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें रास्ता में आयी भूमि की राशि अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक **06.09.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़